निग० - 3757/2018/सतना/भू०रा० (275)

1 (399)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. (रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1− उत्तम साकेत तनय स्व. श्री मंगल प्रसाद साकेत अध्यक्ष संत रविदास भीम कमेटी मैहर निवासी ग्राम धतुरा तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.)

2− गोरे लाल साकेत तनय श्री भोलादास साकेत संयोजक संत रविदास भीम कमेटी मैहर निवासी ग्राम धतुरा तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) ....आवेदकगण

बनाम

आशीष कुमार पिता अवध किशोर अग्रवाल निवासी वार्ड क्र.−4 मैहर तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) ....अनावेदक

अधि० श्री अजय कुमार सोनी द्वारा पेश 21.6.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार मैहर के प्रकरण क.−11/अ12/2017−18 में पारित <u>आदेश दिनांक 19.01.2018</u>

<u>अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.</u>

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यह कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील मैहर के यहां संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत भूमि खसरा क.−205/1 ख रकवा 0.533हे. स्थित ग्राम धतुरा तहसील मैहर के सीमांकन का प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने राजस्व निरीक्षक से मूलतः सीमांकन कर प्रतिवेदन आहुत किया। राजस्व निरीक्षक ने मौके पर बिना हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिये व बिना उनकी उपस्थित में मनमानी कार्यवाही कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस प्रतिवेदन में क्षेत्र वासियों द्वारा शासकीय भूमि में अर्सा पूर्व स्थापित माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं संत रविदास की मूर्ति एवं चबूतरे को भी अनावेदक के स्वामित्व में नाप कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने बिना किसी कार्यवाही व सुनवाई के दिनांक 19.01.2018 को कर दिये जाने से जानकारी होने पर परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

(275)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 3757-सतना/18 जिला सतना

उत्तम साकेत व अन्य विरूद्ध आशीष कुमार अग्रवाल

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अंजनी कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा यह ~~न्याय~~ तहसीलदार तहसील मैहर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 19-1-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	